

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-28/85) अलेसे-1/

दिनांक:- 22-12-14

कार्यालय आदेश

श्री राजेश कुमार जोशी पुत्र श्री बालकृष्ण जोशी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय- उपकोषालय बायतु (बाडमेर) (लिंग नं.-1229) विभाग, का दिनांक 16.11.2014 को निधन हो जाने के कारण उन्हें दिनांक 16.11.2014 को मध्याह्न पश्चात् से राज्य सेवा से पृथक किया जाता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि स्व0 श्री राजेश कुमार जोशी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम-1958 के तहत कोई विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं है।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-28/85) अलेसे-1/ 7446-7450

दिनांक:- 22-12-14

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जोधपुर।
2. कोषाधिकारी बाडमेर।
3. श्रीमती कल्पना जोशी पत्नी स्व0 श्री राजेश कुमार जोशी, जोशियों का उपरला वास बाडमेर को प्रेषित कर लेख है कि आप स्वयं अथवा परिवार के किसी सदस्य को राजकीय सेवा में अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिलवाना चाहती हैं, तो निर्धारित प्रपत्र में कोषाधिकारी बाडमेर के माध्यम से अविलम्ब भिजवावें।
4. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
5. निजी पत्रावली/गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/गार्ड फाइल।


(के.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)